छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-05

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

(पौष 02, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06 से 08 एवं 10 से 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्न संख्या 05 एवं 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री खेलसाय सिंह एवं उमेश पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पृच्छा

श्री अमित अजित जोगी, सदस्य द्वारा प्रदेश में आउट सोर्सिंग से सरगुजा एवं बस्तर संभाग में शिक्षकों के पदों की पूर्ति की जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पढ़ते हुए चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना कक्ष में अग्राह्य कर दी गई है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.04 बजे स्थगित की जाकर 12.10 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

पुन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि नर्सेस की आउट सोर्सिंग के बारे में चर्चा हो गई है। आपके द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.15 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष ने शून्यकाल में श्री अमित अजीत जोगी को अपनी बात रखने की अनुमति दी।

श्री अमित अजित जोगी, सदस्य ने भाषण दिया। श्री अमित अजीत जोगी सहित प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने एक पुस्तक प्रमुख सचिव की मेज पर रखी।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के व्यवहार की घोर निंदा की। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुस्तक वापस ली गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आना एवं नारे लगाते हुए प्रमुख सचिव की मेज पर पुस्तक रखना अनुचित है। माननीय सदस्यों को निलंबित किया जाना चाहिये।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा कथन किया गया कि माननीय सदस्य पटल पर पुस्तक रखने गये थे, उनकी गर्भगृह में जाने की मंशा नहीं थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने पर माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दी कि अगर इस प्रकार से अनुशासनहीनता होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही भी होगी। इस सदन की गरिमा को बनाना हम सबका दायित्व है।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आसंदी सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए पूर्णत: सजग है। इसलिए इसमें किसी भी सदस्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यगण यहां कुछ कागजात वगैरह रखने के हिसाब से आ गये थे। उनके वेल में आने की, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा, उनकी कोई नियत इस प्रकार की नहीं थी कि हम वेल में जा रहे हैं और जैसे ही वे वेल में आये और कागज वहां पर रख रहे थे तो मैंने उनके इस कृत्य पर घोर निंदा की। मैंने उनको निदिंत किया और निंदा से बढ़कर के कोई सजा नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने :-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त वर्ष 2014-2015 के वित्त लेखे खण्ड (1) एवं खण्ड (2) तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में हुए वित्तीय संव्यवहारों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन,

(3) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2015-16 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(4) जांच आयोग अधिनियम 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सकरी, गौरेला, पेण्ड्रा व मरवाही, जिला बिलासपुर में दूरबीन पद्धति से आयोजित नसबंदी शिविरों में 13 महिलाओं की मृत्यु एवं अन्य की गंभीर अस्वस्थता का न्यायिक जांच प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन,

(5) कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, तथा

(6) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-2/15-2/2015/7, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 **पटल पर रखे।**

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने जिला बलौदाबाजार की ग्राम पंचायत सलौनीकला में शराब ठेकेदार द्वारा आम जनता के साथ मारपीट किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 5 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक सदस्य

3. श्री टी.एस.सिंहदेव,
4. श्री बृहस्पत सिंह
5. डॉ. विमल चोपड़ा
7. श्री अमरजीत भगत
8. श्री मोतीलाल देवांगन
9. श्री मोतीलाल देवांगन,
10. श्री सत्यनारायण शर्मा
11. डॉ. विमल चोपड़ा
13. श्री बृहस्पत सिंह
14. श्री दीपक बैज
15. श्री देवजीभाई पटेल
16. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)
17. श्री अरूण वोरा
18. श्री अरूण वोरा
20. श्री सत्यनारायण शर्मा
21. श्री मोतीलाल देवांगन
22. श्री मोतीलाल देवांगन
23. श्री मोहन मरकाम
24. श्री सियाराम कौशिक

7. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 23.12.2015 को उन्होंने सदन में 12 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) डॉ.खिलावन साहू
(3) डॉ. विमल चोपड़ा

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू
(6) श्रीमती तेजकुंवर नेताम
(7) श्री टी.एस.सिंहदेव
(8) श्री देवजी भाई पटेल
(9) श्री मोहन मरकाम
(10) श्री भोलाराम साहू
(11) डॉ. प्रीतम राम
(12) श्री लखेश्वर बघेल

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. मंत्री का वक्तव्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 286) पर हुई चर्चा के दौरान दिये गये मौखिक उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

(2.00 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक-34 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक-34 सन् 2015) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री भूपेश बघेल, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्री अशोक साहू, श्रीमती सरोजनी बंजारे।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 43 विपक्ष में 22 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक-34 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 04, प्रेमनगर से निर्वाचित सदस्य श्री खेलसाय सिंह द्वारा दिसम्बर, 2015 सत्र में दिनांक 16 दिसंबर, 2015 से 23 दिसम्बर, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

12. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

13. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दलेश्वर साहू, डॉ.विमल चोपड़ा, श्री मोहन मरकाम, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, बृहस्पत सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री देवजी भाई पटेल, सियाराम कौशिक, राजेन्द्र कुमार राय,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री अमित अजीत जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक बैज, लालजीत सिंह राठिया, सत्यनारायण शर्मा, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने प्रस्ताव किया की माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश, श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27/11/2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "प्रदेश के गांवों में जनसुविधा यथा खेल मैदान, चारागाह, शमशान घाट, तालाब, हाटबाजार आदि सुविधा हेतु जमीन चिन्हांकित कर संरक्षण संवर्धन किया जाए।"

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) मोहन मरकाम, (डॉ.) खिलावन साहू, श्रीमती सरोजनी बंजारे श्री शिवरतन शर्मा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "प्रदेश के सरगुजा एवं बस्तर जिला मुख्यालयों में उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना की जाए।"

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, संतोष बाफना।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने रायपुर को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित किया।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने यथासंशोधित संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश के सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर जिला मुख्यालयों में उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना की जाए ।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

3. सदन का यह मत है कि "बिजली की अपहुंच वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को सौर ऊर्जाकृत किया जाए।"

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया।

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की एवं यथासंशोधित संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि "बिजली की अपहुंच वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमश: सौर ऊर्जाकृत किया जाए।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

16. नियम-167 के अंतर्गत अग्राहय विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 (1) के परंतुक के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री गिरवर जंघेल के द्वारा राजनांदगांव जिला के अंतर्गत विकासखंड छुईखदान में संचालित, वीरांगना अवन्ती बाई शासकीय महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2015 विचारोपरांत मैंने कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

17. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

चतुर्थ विधान सभा के षष्टम सत्र का आज अंतिम दिवस है । यह शीतकालीन सत्र बुधवार, दिनांक **16** दिसम्बर से प्रारंभ हुआ और आज यह **5** दिवसीय सत्र समापन की दिशा में

अग्रसर है । मैं आप सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ और बधाई देता हूँ । पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जिस संयम एवं संसदीय मर्यादाओं एवं परम्पराओं का पालन करते हुए संसदीय दायित्वों का निर्वहन किया, वह उल्लेखनीय रहा ।

वस्तुत :यह सभा प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं का और अभिलाषाओं को प्रतिबिंबित करने का वह पवित्र स्थान है, जहां जनता के द्वारा चुने हुए जन-प्रतिनिधि जनकल्याण हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं तथा आपने अपने कार्य व्यवहार से यह सिध्द भी किया है।

हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है देश के बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां उनके वार्षिक बजट में कृषि बजट को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उसमें से एक है, राज्य के किसान साथियों के प्रति राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और यह सदन अत्यंत संवेदनशील है।

आपको विदित ही है कि इस वर्ष राज्य में अल्प वर्षा की वजह से किसान भाईयों को प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें इस स्थिति से उबारने के उद्देश्य से आपने इस सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जो सारगर्भित चर्चा की यही सजगता और संवेदनशीलता छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम भविष्य तय करेगी।

मैं माननीय सदस्यों की इस भावना से भलीभॉति भिज्ञ हूं कि वे जन-समस्याओं को, जन-आकांक्षाओं को सभा में उठाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । उनका उद्देश्य यह रहता है कि किसी-न-किसी माध्यम से उनकी बातें सदन में आ जाए, किन्तु नियम एवं परम्पराओं की कसौटी में अनेक अवसरों पर माननीय सदस्य उनकी बातों को सभा में नहीं उठा पाते हैं और ऐसे अवसरों पर उनमें उत्तेजना का भाव आ जाता है । मेरा सदस्यों से आग्रह है कि उत्तेजना के क्षणों में भी संयम रखना ही संसदीय प्रणाली का मूल तत्व है, क्योंकि यह सदन वाद-विवाद के माध्यम से असहमति से सहमति की ओर जाने का एक प्रभावी मंच है ।

मुझे इस बात का हार्दिक संतोष है कि छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा संसदीय मूल्यों और परंपराओं के संरक्षण हेतु वचनबध्द है। पक्ष एवं प्रतिपक्ष में अन्यान्य कारणों से विचारधारा का अंतर और मतभेद के बावजूद भी सहृदयता, सद्भाव एवं सौहार्द्र ही आदर्श लोकतंत्र का मूलमंत्र है और मुझे यह अभिव्यक्त करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस सदन के पक्ष प्रतिपक्ष में सहृदयता और सद्भभाव का भाव जीवंत रूप में परिलक्षित हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कही गई अपनी बात के संदर्भ में जिस विनम्रता से अपनी चूक को स्वीकारा या अपनी बात को वापस लिया वह इस सदन के संसदीय आचरण की श्रेष्ठता का अद्वितीय उदाहरण है।

इस शीतकालीन सत्र की यह उपलब्धि हमारे लिये महत्वपूर्ण है कि इस सत्र में सदन में गतिरोध का समय न्यून रहा और प्रति दिन अतिरिक्त समय में बैठकर प्रत्येक उस विषय पर

विस्तृत और व्यापक चर्चा हुई जो लोकमहत्व और लोककल्याण के लिये आवश्यक थी । चर्चा के माध्यम से समस्त माननीय सदस्य समस्याओं के सामयिक समाधान हेतु पूर्ण वचनबध्द नजर आये, मैं आपके इस संसदीय व्यवहार की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं।

आपका संसदीय व्यवहार आपकी सजगता एवं लोककल्याण के प्रति आप माननीय सदस्यों की वचनबध्दता इस बात का प्रमाण है कि आप सभी माननीय सदस्यों में उच्च संसदीय संस्कार विद्यमान है और यही संस्कार भविष्य में इस सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए संसदीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में आदर्श प्रस्तुत करते रहेंगे।

इस **5** दिवसीय सत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से लगभग **3100** से अधिक छात्र-छात्राओं सहित **6000** से अधिक लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस **5** दिवसीय लघु सत्र में इतनी अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं का सदन की कार्यवाही अवलोकन करना छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिये एक उपलब्धि है कि शैक्षणिक संस्थाओं के युवा छात्र-छात्राओं को संसदीय शासन व्यवस्था से सीधे तौर पर जोड़ने में एक सार्थक पहल करने में सफल रही है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्राएं राज्य की इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सके, युवा पीढ़ी की इस संस्था के प्रति विश्वास से ही संसदीय प्रणाली पुष्ट होगी ।

इस सत्र में वित्तीय कार्य और विधायी कार्य, निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण किये गये इस कार्य में सहयोग के लिये आप सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

इस शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल **5** कार्य दिवसों में कुल **27** घंटे **10** मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में **986** प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न **352** एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या **329** रही। जैसा कि मैने आपको पूर्व में उल्लेख किया है कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषयों पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में नियम **139** के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल **11** सूचनाएं प्राप्त हुई। इस सत्र में **8** अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए । इस सत्र में कुल **114** स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से एक विषय से संबंधित **37** स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को ग्राह्य कर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या **77** रही। इस सत्र में शून्यकाल की **47** सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से **32** सूचनाएं ग्राह्य व **15** सूचनाएं अग्राह्य रही।

इस सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया । सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से **89** साहित्य उपलब्ध कराये गये तथा विभिन्न विषयों पर **72** संदर्भ उपलब्ध कराए गए ।

4300 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाइट का अवलोकन किया ।

चतुर्थ विधानसभा के इस षष्ठम सत्र में कुल **276** ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें **39** सूचनाएं ग्राह्य व **199** सूचनाएं अग्राह्य रही। इस सत्र में कुल **13** विधेयक लाए गए सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल **11** प्रतिवेदन पटल पर रखे गये तथा लोक लेखा समिति के **8** प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए । वहीं **13** याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई । इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

इस सत्र समापन के अवसर पर पत्रकार बंधुओं के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिध्द किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहा। राज्य शासन के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हे भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया। जिला प्रशासन सहित सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका। परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी बजट सत्र मार्च माह में आहूत होने की संभावना है।

वर्ष **2015** का यह अंतिम सत्र है और शीघ्र ही नया वर्ष आने वाला है मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

इस अवसर पर मैं आवाहन करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृध्दि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद।

नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं

जय - हिन्द, जय - भारत, जय - छत्तीसगढ़

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

18. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्‌-मण की धुन बजाई गई)

रात्रि 8.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा